E.P.S

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 3377 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक, मीरजापुर, जनवरी, 27, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा।

विषयः– 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रस्तावित 19.968हे0 (वर्तमान में **7.5118हे0**) वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/44753/2020)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1105 / ओबरा / 33 दिनांक – 25.10.2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–2031 / मी0 / 33 दिनांक 28.10.2021 तथा आपका पत्रांक–1240 / ओबरा / 15मू0ह0 दिनांक 16.11.2021 पत्रांक–1672 / ओबरा / 33 दिनांक 06.01.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयक प्रकरण में अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1672 / ओबरा / 33 दिनांक 06.01.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.1986 के क्रम में हुयी, सर्वे रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाही के दौरान एफ0एस0ओ0 / ए0डी0जे0 द्वारा धारा–4 से पृथक भूमि को छोड़ते हुए दिनांक 15.06.2020 को ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा–20 की अधिसूचना निर्गत हो चुका है। धारा–20 की अधिसूचना निर्गत हो जाने के उपरान्त प्रश्नगत परियोजना हेतु तत्समय में स्वीकृत 19.968हे0 वन भूमि में से कालम संख्या–7 में उल्लिखित 12.4562हे0 भूमि धारा–20 की अधिसूचना से पृथक है। इसलिए **लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव में 7.5118हे0 वन भूमि लिया** गया है।

उक्त के अनुसार प्रकरण में दिनांक 15.06.2020 को धारा–20 की अधिसूचना निर्गत हुआ है तो आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 16.11.2021 द्वारा प्रस्तावक से वर्ष 2019–20 की लीज रेंट किस आधार पर 7.5118हे0 लीज रेंट की मांग की गयी है। स्थिति स्पष्ट करें। वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 की लीज रेंट जमा किया जा चुका है अथवा नहीं स्थिति स्पष्ट करें।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर